संख्याः- 77/2024/ 3500 /छिहत्तर-1-2024-कम्प्यूटर सं0- 1780872

प्रेषक

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर, 2024

विषयः 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित /निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं हेतु निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था कराया जाना ।

महोदय,

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की सम्पूर्ण ग्रामीण आवादी को शुद्व पेयजल की सुविधा उपलव्ध कराये जाने की कार्यवाही चरणवद्व रूप से कराई जा रही है। जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशिका के अध्याय-6 के प्रस्तर-6.1.2 'सामुदायिक अंशदान' में यह व्यवस्था दी गयी है कि ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति / पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अन्तः ग्राम अवसंरचनाओं और सम्वन्धित स्रोत विकास के लिए पहाडी और वन प्रदेशों, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, 50 प्रतिशत से अधिक एस.सी. और / या एस.टी. आबादी वाले गांवों में समुदाय द्वारा पूजीगत लागत का 5 प्रतिशत नकद/ या वस्तु और / या श्रम के रूप में दिया जाएगा और अन्य गांवों में पूंजी लागत का 10 प्रतिशत भाग दिया जाएगा।

2- इस सम्वन्ध में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं की कुल निर्माण लागत लगभग रू. 1,52,522 करोड के सापेक्ष अवसंरचनाओं की वन क्षेत्र / पहाडी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के गांवों के लिए 5 प्रतिशत एवं शेष अन्य ग्रामों के लिए 10 प्रतिशत के आधार पर लगभग रू 9100.00 करोड धनराशि की व्यवस्था करायी जानी अपेक्षित है। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों द्वारा अंतःग्राम अवसंरचनाओं की लागत के रूप में 9100 करोड का सामुदायिक अंश दिया जाना अत्यधिक कठिन है तथा आम जनसामान्य को पेयजल उपलव्ध कराया जाना लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में सम्मिलित है। अतएव सक्षम स्तर पर यह मत स्थिर किया गया कि उक्त धनराशि की व्यवस्था राज्य बजट से की जाय।

3- उक्त के क्रम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अंतः ग्राम अवसंरचनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान के रूप में लगभग रू 9100.00 करोड धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने तथा इसके लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्षों में चरणवदध रूप से यथावश्यकता बजटीय व्यवस्था कराये जाने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2000.00 करोड की भी वजटीय व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अतः इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 18-12-2024 14:34:00
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः- 77 /2024/ 3500 (1)/छिहत्तर-1-2024- कम्प्यूटर सं0- 1780872 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/2/12/2024-सी0एक्स0(1) दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के क्रम में।
9. गार्ड फाइल।

Signed by आज्ञा से,
Om Prakash Chauhan
Date: 18-12-2024 14:38:03

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।